Mountbatten Plan

For U.G.Part-3,Paper-6

24 मार्च सन् 1947 को लॉर्ड वेवल के स्थान पर **लॉर्ड माउंटबेटन** भारत के नए वायसराय

बन कर आए। इन्हें भारत में ब्रिटिश शासन को जून 1948 तक समाप्त करने के निश्चित उद्देश्य से भेजा गया ।अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी ।पहली सत्ता के हस्तांतरण के लिए तिथि निश्चित की जाए ।**प्रधानमंत्री एटली** ने इसे मंजूर कर लिया और अपनी घोषणा में जिक्र किया। दूसरी अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसे पूरी शक्ति दी जाए । पहले वायसराय की अपेक्षा माउंटबेटन को कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता दी गई ।यही कारण है कि पूर्व वायसराय की अपेक्षा निर्णय लेने में वे अधिक शीध्रगामी थे। इन शक्तियों की वजह से वे विभिन्न दलों के साथ बातचीत करने उन्हें मनाने तुरंत निर्णय लेने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सफल हो गए।

भारत आने के बाद माउंटबेटन तुरंत अपने काम में जुट गए। उनके सामने दो विकल्प बड़े स्पष्ट थे।पहला,भारत की अखंडता को बरकरार रखा जाए परंतु भारत के प्रांतों को अधिकतम स्वायत्तता दे दी जाए और उन्हें अपने -अपने संविधानों के साथ एक उपसंघ में संगठित कर दिया जाए। दूसरा, बहुसंख्यक समुदाय वाले क्षेत्रों को आधार मानकर भारत को दो प्रभु सत्ताधारी राज्यों में बांट दिया जाए ।इसके लिए पंजाब, बंगाल तथा आसाम का विभाजन जरूरी था। विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए माउंटबेटन 24 मार्च से मध्य अप्रैल तक विभिन्न नेताओं से मिलते रहे। इसके बाद उन्होंने प्रांतों के गवर्नरों का एक सम्मेलन बुलाया ।उसने अपने सहयोगियों से भी सलाह मशवरा किया। इनके महत्वपूर्ण सलाहकार थे:- इस्मे, अबैल तथा वी .पी. मैनन। माउंटबेटन गांधीजी से आवश्यकता पड़ने पर लेकिन कांग्रेसी नेताओं में नेहरू तथा पटेल से कई बार सलाह मशवरा की । जिन्ना से भी वे कई बार मिले । इसके अलावा वे कांग्रेस के आजाद, कृपलानी तथा कृष्णा मेनन, मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान तथा सिख समुदाय के बलदेव सिंह एवं तारा सिंह एवं भारतीय रियासतों की समस्या के बारे में बीकानेर तथा भोपाल के राजाओं से बातचीत की ।

भारतीय नेताओं से बातचीत के बाद सत्ता के हस्तांतरण के प्रश्न पर माउंटबेटन कुछ प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचे तथा उसने फैसला किया कि इन पर अपने सलाहकारों तथा प्रांतों के गवर्नरों की राय जान ली जाए। 14 अप्रैल को गवर्नरों का एक सम्मेलन हुआ ।जहां पंजाब का गवर्नर पंजाब प्रांत के विभाजन के पक्ष में था वही उत्तर- पश्चिमी प्रांत का गवर्नर चुनाव करवाने के पक्ष में था। बंगाल के गवर्नर ने विभाजन का समर्थन नहीं लिया। असम उस ग्रुप से बाहर निकलना चाहता था जो केबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत उसे आवंटित किया गया था।

इसी बीच अंतरिम सरकार में कांग्रेस तथा लीग के बीच झगड़े और कलह इतने अधिक बढ़ गए थे कि प्रशासन तंत्र के टूटने की नौबत आ गई। देश के पश्चिमी प्रांतों में दंगे, लूटपाट, आगजनी ,अव्यवस्था की घटनाएं दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हिंदू तथा मुसलमानों में आपसी घृणा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी ।

इस बीच माउंटबेटन भारतीय राजनीतिक नेताओं से विचार- विमर्श कर रहे थे लेकिन उन्होंने देखा कि लीग के नेता सांप्रदायिक आधार पर देश को विभाजित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। **महात्मा गांधी** ने इस विचार का कड़ा विरोध किया तथा घोषणा की कि यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार करना चाहती है तो यह मेरे मृत शरीर पर होगा। जब तक मैं जीवित हूं, मैं भारत विभाजन के लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा ।प्रस्तावित विभाजन के दूसरे प्रबल विरोधी **अबुल कलाम आजाद** थे।

लगभग 2 महीनों की बातचीत के उपरांत माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। प्रस्तुत परिस्थितियों में कांग्रेस नेता भी इस विचार से सहमत होने लगे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के साथ कार्य करने का प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था, जिसने प्रशासन के कार्य संचालन में गतिरोध उत्पन्न करने की पुरजोर कोशिश से की थी ।कांग्रेसी नेताओं को देश में हो रहे व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और रक्तपात ,विभाजन के मुद्दे को लेकर जिन्ना के गैर समझौता वादी व्यवहार तथा यथासंभव शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरित करने के ब्रिटिश निर्णय पर भी विचार करना था।

अप्रैल के मध्य तक विभाजन की तस्वीर वायसराय के दिमाग में स्पष्ट हो चुकी थी अब उसने अपने सलाहकारों इस्मे तथा एबल के सहायता से पहला मसौदा तैयार किया इसे '**प्लान बाल्कन**'**(Plan Balkhan)** का नाम दिया गया।इसके अनुसार शक्ति का हस्तांतरण पृथक प्रांतों को करने का प्रावधान किया गया तथा पंजाब एवं बंगाल के विधान मंडलों को अपने प्रांतों के विभाजन के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई ।इस तरह से निर्मित इन पृथक इकाइयों तथा ब्रिटिश प्रभु सत्ता समाप्त होने के बाद स्वतंत्र देसी रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित होने अथवा स्वतंत्र रहने की छूट होगी।

परंतु जब इस मसौदे को नेहरू को अनौपचारिक स्तर पर दिखाया गया तो उसने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया। प्लान को तुरंत रद्द कर दिया गया। नेहरू का विचार था कि सारे प्लान का उद्देश्य भारत के टुकड़े करना है और कांग्रेस इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। **वी .पी. मेनन** को तुरंत एक वैकल्पिक योजना बनाने के लिए कहा गया। उसने शीघ्र ही एक नया प्लान बनाकर माउंटबेटन के सामने प्रस्तुत किया। इन नये प्रस्ताव को ब्रिटिश कैबिनेट की सहमति मिलना आवश्यक था ।कांग्रेस तथा लीग के प्रतिनिधियों को मिलने के बाद माउंटबेटन लंदन रवाना हो गए। वापस आने पर उसने इस प्लान को भारतीय नेताओं के सामने पेश किया जो माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है।

मांउटबेटन प्लान- 3 जून 1947 की यह योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी । इस योजना में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी और विशेष रूप से उस प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया था,

जिसके द्वारा मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह चुनाव करना था कि वह भारत में रहेंगे या प्रस्तावित नवगठित देश अर्थात पाकिस्तान में शामिल होंगे। इस संबंध में निम्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया:-

1. संविधान सभा के कार्य में किसी प्रकार का विध्न नहीं डाला जाएगा परंतु इसके द्वारा बनाया गया संविधान केवल उन्हीं पर लागू होगा जो इसे स्वीकार करना चाहेंगे। विभिन्न प्रांतों की इच्छा को वर्तमान संवैधानिक सभा में सम्मिलित होने या नई पृथक संविधान सभा के निर्माण द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है।
2. पंजाब और बंगाल के विधान मंडलों को बहुसंख्यक समुदाय वाले जिलों के आधार पर विभाजित किया जाएगा। यदि ये प्रांत विभाजन का विकल्प चुनते हैं तो प्रत्येक सेक्शन अपनी मर्जी के विधानमंडल में सम्मिलित हो सकता है।
3. उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत में लोगों की इच्छा जनमत संग्रह द्वारा निश्चित की जाएगी।
4. सिलहट की जनता भी अपना निर्णय जनमत संग्रह द्वारा करेगी।
5. पंजाब, बंगाल तथा सिलहट के कुछ भागों में संवैधानिक सभा के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
6. विभाजन के बाद केंद्रीय विषयों को लेकर नई सरकारों में, शक्ति हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर नई सरकार एवं ब्रिटिश सरकार में तथा प्रांतीय विषयों के प्रशासन के लिए विभाजित प्रांतों में अलग-अलग बातचीत करने के बाद समझौते किए जाएंगे
7. देसी रियासतों पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी। इन रियासतों को नई सरकारों के साथ संबंध बनाने की छूट होगी।

माउंटबेटन ने इस बात पर बल दिया कि सभी दलों की इच्छा है कि प्लान को शीघ्र क्रियान्वित किया जाए। इसके लिए वायसराय ने भारत को स्वतंत्रता देने की तिथि को अग्रिम करने की इच्छा जाहिर की। माउंटबेटन ने शक्ति हस्तांतरण की तारीख जून 1948 से आगे करके 15 अगस्त 1947 कर दिया।

इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए दो तरह के कदमों की आवश्यकता थी । पहला,संसदीय कानून द्वारा इन नए प्रबंधों को वैधानिक रूप देना ।दूसरा, विभाजन को कारगर बनाने के लिए उचित प्रशासनिक प्रबंध करना। पहले कदम के लिए ब्रिटिश संसद नें 12 दिन के अंदर एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (India Independence Act, 1947)पारित किया ।18 जुलाई को इसे ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिल गई।

प्रशासनिक संबंधी समस्याओं से निबटने के लिए माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक विभाजन काउंसिल(Partition Council) की स्थापना की गई ।भारत तथा पाकिस्तान दोनों के लिए ब्रिटिश **वकील रेडक्लिफ** की अध्यक्षता में एक साझा सीमा आयोग बनाया

गया और उसे निर्देश दिया गया कि 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे दे। यह रिपोर्ट निश्चित तिथि तक तैयार हो गई थी परंतु स्वतंत्रता के कुछ दिनों बाद प्रकाशित की गई क्योंकि इसके प्रस्ताव से दोनों सरकारें संतुष्ट नहीं थी। एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या गवर्नर- जनरल- इन-काउंसिल के अधिकारों, उत्तरदायित्व तथा संपत्ति के विभाजन का था ।राष्ट्रीय ऋण तथा देश के सरकारी खजाने की जमा राशि का आवंटन तथा विभाजन भी काफी जटिल था। इसे ब्रिटेन के विदेश मंत्री की सलाह से सुलझाया गया ।इसी तरह सेना के पुनर्गठन तथा सरकारी पदाधिकारियों के बंटवारे जैसी समस्या का भी हल निकाला गया।

BY:ARUN KUMAR.RAI
ASST.PROFESSOR
P.G.DEPT.OF HISTORY
MAHARAJA COLLEGE
ARA.

Last modified: 12:27